

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. 114-111/2010 निगरानी

२२५-११-१५

श्री. डी. एस. चौहान-PS
द्वारा आज दि. 28/5/15 को
प्रस्तुत

बलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 28-5-15

सुखपत कुमारी पुत्री स्व.श्री राधेश्याम सिंह
निवासी- ग्राम मरूहा, तहसील सिंगरौली,
जिला सिंगरौली (म.प्र.) -----आवेदिका

बनाम

- 1- म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार तहसील व
जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 2- कृष्णनारायण सिंह पिता भगवत सिंह
निवासी - भरूहा, तहसील सिंगरौली,
जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 3- रमाशंकर सिंह पिता भगवत सिंह
निवासी- भरूहा, तहसील सिंगरौली,
जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 4- रामचन्द्र सिंह पिता मानिक सिंह निवासी-
माजनखुर्द, तहसील सिंगरौली, जिला
सिंगरौली (म.प्र.)
- 5- राजेश कुमार उर्फ अजय कुमार पिता
राजकुमार सिंह निवासी- नादो, तहसील
सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 6- कुन्जल सिंह पिता मितरजीत सिंह
निवासी- रौदी, तहसील सिंगरौली, जिला
सिंगरौली (म.प्र.) -----अनावेदकगण

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1224-दो/2015


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

11-06-15

शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदकपक्ष की ओर से श्री डी0एस0चौहान, अधिवक्ता उपस्थित। तर्क सुने गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया अनुपस्थित का समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है।


अध्यक्ष